

09 November 2024

सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुराने फैसले को पलटा

सन्दर्भ: हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 1967 के अपने पूर्ववर्ती फैसले को पलटते हुए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से इनकार करने वाले फैसले को निरस्त कर दिया। 4-3 के बहुमत से पारित इस निर्णय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जोकि अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका संचालन करने का अधिकार प्रदान करता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

- **एएमयू की स्थापना:**
 - » **1877:** इस संस्था की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य इस्लामी मूल्यों को संरक्षित करते हुए भारत में मुस्लिम समुदाय के बीच आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना था।
 - » **1920:** ब्रिटिश सरकार द्वारा अधिनियमित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत इस कॉलेज को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में अपग्रेड किया गया।

1967 का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय:

- **1967:** सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि विश्वविद्यालय की स्थापना एक कानून (एएमयू अधिनियम) द्वारा की गई थी, न कि केवल मुस्लिम समुदाय द्वारा, इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा के लिए योग्य नहीं है।
- इस निर्णय ने एएमयू को वह स्वायत्तता से वंचित कर दिया, जो अल्पसंख्यक संस्थानों को सामान्यतः प्राप्त होती है, जिसमें कुछ आरक्षण आवश्यकताओं से छूट भी शामिल है।
- **1981:** इस मुद्दे को सुलझाने के प्रयास में, एएमयू अधिनियम में एक संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया कि विश्वविद्यालय की स्थापना "भारत के मुसलमानों" द्वारा की गई थी। हालांकि, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2005 में इस संशोधन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं देता।

सुप्रीम कोर्ट का तात्कालिक निर्णय:

- **1967 के निर्णय को पलटना:** सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 1967 के फैसले को पलटते हुए माना कि एएमयू अपने ऐतिहासिक संदर्भ, स्थापना के उद्देश्य और भारत में मुस्लिम शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के आधार पर अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त कर सकता है।

- **अल्पसंख्यक दर्जे के लिए मानदंड:** न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि किसी शैक्षणिक संस्थान को अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का दावा करने के लिए एक नया परीक्षण अपनाया जाएगा। इस परीक्षण में संस्थान की कानूनी स्थापना प्रक्रिया, इसके संस्थापक का उद्देश्य और इसके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखा जाएगा।
- **ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर दर्जा:** अब वे शैक्षणिक संस्थान, जिनका मजबूत ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध किसी विशेष समुदाय से है (जैसे एएमयू का मुस्लिम समुदाय से संबंध), अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के योग्य माने जाएंगे, चाहे उन्होंने किसी सरकारी अधिनियम या बड़े समूह द्वारा स्थापना की हो।

फैसले के निहितार्थ:

- **एएमयू की स्थिति का अंतिम निर्धारण:** सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है, हालांकि इसकी वास्तविक स्थिति का निर्धारण आगामी कार्यवाही में एक अन्य पीठ द्वारा किया जाएगा।
- **कानूनी आधार और अधिकारों की विशिष्टताएं:** यह निर्णय एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करता है, लेकिन इसके अधिकारों की सीमाएं और विशिष्टताएं भविष्य में होने वाली कानूनी कार्यवाही के माध्यम से स्पष्ट की जाएंगी।

हिमालय की ग्लेशियल झीलों के सतह का विस्तार

सन्दर्भ: हाल ही में केंद्रीय जल आयोग (CWC) की रिपोर्ट के अनुसार, 2011 से 2024 के बीच हिमालयी ग्लेशियल झीलों का सतही क्षेत्र 10.81% बढ़कर 2011 में 533,401 हेक्टेयर से 2024 में 591,108 हेक्टेयर हो गया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने का परिणाम है, जोकि बढ़ते वैश्विक तापमान और परिवर्तित वर्षा पैटर्न से प्रभावित है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **भारत की हिमनद झीलों का महत्वपूर्ण विस्तार:**
 - » 2011 और 2024 के बीच भारतीय हिमनद झीलों के सतही क्षेत्र में 33.7% की वृद्धि हुई है।
 - » कुल 67 झीलों में 40% से अधिक की वृद्धि देखी गई है, जिससे वे ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) के उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आ गई हैं।
- **भारत में उच्च जोखिम वाले क्षेत्र:** हिमनद झीलों का महत्वपूर्ण विस्तार निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा गया है:
 - » **लद्दाख:** अपने ऊंचे ग्लेशियरों के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र में झीलों



09 November 2024

के आकार में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है।

- » **हिमाचल प्रदेश:** इस राज्य में कई बड़े ग्लेशियरों के साथ झील क्षेत्रों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।
- » **उत्तराखंड:** गंगा जैसी प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल के रूप में उत्तराखंड की हिमनद झीलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
- » **सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश:** भूटान और चीन की सीमा से लगे इन पूर्वोत्तर राज्यों में हिमनद झील प्रणालियों में काफी परिवर्तन हुआ है।
- **सीमापार जोखिम:**
 - » भारत में हिमनद झीलों के विस्तार से भूटान, नेपाल और चीन सहित पड़ोसी देशों में भी खतरा उत्पन्न होता है।
 - » हिमनद झीलों के हिमोढ़ में दरार के कारण सीमा पार बाढ़, भूस्खलन और अन्य पर्यावरणीय खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे जोखिम प्रबंधन में सीमा पार सहयोग आवश्यक हो जाता है।



हिमनद झीलों के विस्तार के परिणाम

- **ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOF):**
 - » GLOF तब होता है जब ग्लेशियर से बनी झील अपने प्राकृतिक हिमोढ़ (चट्टानों और मलबे से बनी बाधा) को तोड़ देती है, जिससे नीचे की ओर विशाल जल प्रवाह होता है।
 - » ये बाढ़ अचानक और विनाशकारी हो सकती हैं, बुनियादी ढांचे को नष्ट कर सकती हैं, बस्तियों को जलमग्न कर सकती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर क्षति पहुंचा सकती हैं।
- **जल उपलब्धता पर प्रभाव:**
 - » हिमालय के ग्लेशियर, जिन्हें 'तीसरा ध्रुव' भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण मीठे जल भंडार हैं, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी प्रमुख नदी प्रणालियों को पोषित करते हैं।
 - » जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं, पानी का कुछ भाग ग्लेशियल झीलों में जमा होता है, जिससे जल मात्रा में अस्थायी वृद्धि होती है। हालांकि, विस्तारित झीलों से अप्रत्याशित जल प्रवाह दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है।
- **पारिस्थितिकी तंत्र व्यवधान:**

» हिमनद झीलों के तेजी से विस्तार और इसके कारण भूदृश्य में होने वाले परिवर्तन स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकते हैं, जिससे जैव विविधता को खतरा उत्पन्न होता है।

शमन प्रयास:

- **उन्नत उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग:** हिमालयी हिमनद झीलों की वृद्धि, स्थिरता और मात्रा की निगरानी और पता लगाने के लिए सेंटिनल-1 सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) और सेंटिनल-2 मल्टीस्पेक्ट्रल इमेजरी का उपयोग किया जा रहा है।
- **निगरानी और जोखिम मूल्यांकन के लिए अंतराष्ट्रीय सहयोग:** हिमनद झीलों के विस्तार से उत्पन्न सीमापारीय खतरों को ध्यान में रखते हुए भारत ने नेपाल, भूटान और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ अंतराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया है।
- **समुदायों में लचीलापन पैदा करना:** GLOF और अन्य जलवायु-संबंधी खतरों के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील स्थानीय समुदायों में लचीलापन विकसित करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना किया दोगुना

सन्दर्भ: दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए, भारत सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर दंड को बढ़ा दिया है। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (EPA), 1986 के तहत मौजूदा दंड की सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई आलोचना के बाद लिया गया है, जिसमें मौजूदा दंड को अप्रभावी और अनुपालन में विफल बताया गया था। सरकार का यह कदम पराली जलाने की समस्या को नियंत्रित करने और क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है।

प्रमुख बिंदु:

- **सरकारी कार्रवाई:**
 - » दिल्ली और पड़ोसी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली पराली जलाने की प्रथा को रोकने के लिए दंड में वृद्धि की गई है।
- **जुर्माने की श्रेणियां:**
 - » 2 एकड़ से कम भूमि वाले किसान: 5,000 रुपये का जुर्माना।
 - » 2 से 5 एकड़ भूमि वाले किसान: 10,000 रुपये का जुर्माना।
 - » 5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसान: 30,000 रुपये का जुर्माना।
- **दंड का प्रवर्तन:**
 - » **तंत्र:** पराली जलाने पर किसानों को चालान (जुर्माना नोटिस) जारी किया जाएगा।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR: 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR: 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029



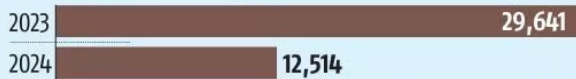
ध्येयias.com

09 November 2024

- » **समय सीमा:** जुर्माना चालान जारी होने के 30 दिनों के भीतर अदा करना अनिवार्य होगा।
- » **भुगतान में देरी:** समय पर भुगतान न करने पर राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूला जाएगा और किसान के भू-राजस्व अभिलेखों में अंकित कर दिया जाएगा।
- » **पर्यावरण क्षतिपूर्ति:** जुर्माने की राशि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों के खातों में जमा की जाएगी, जिसका उपयोग पर्यावरणीय सुधार के लिए किया जाएगा।

Burning issue

Cases of stubble burning in the six states between Sept 15 and Nov 6



Note: Six states include Punjab, Haryana, UP, Delhi, Rajasthan and MP
Source: Indian Agricultural Research Institute

Days in the poor to severe category

Number of days



Note: Number of days includes days in Poor (201-300); Very Poor (301-400); Severe (>401) AQI; Data from Jan 1 to Nov 6
Source: MoEFCC

Revised stubble burning penalties by land size

Penalty per incident



Note: The penalties for each land size category has been doubled; Source: MoEFCC

एक प्रमुख कारक के रूप में पहचाना गया है।

- **बढ़ता वायु प्रदूषण:** पराली जलाने की घटनाओं में कुछ कमी आने के बावजूद, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की रिपोर्ट के अनुसार, इसी अवधि में खराब से गंभीर वायु गुणवत्ता वाले दिनों की संख्या 87 से बढ़कर 110 हो गई है।

प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान:

- सीएसई (विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र) के अनुसार, दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी केवल 8.19% है।
- **अन्य स्रोत:** दिल्ली में वायु प्रदूषण में मुख्य योगदानकर्ता निम्नलिखित हैं:
 - » स्थानीय प्रदूषण स्रोत (30.34%)
 - » वाहन उत्सर्जन (स्थानीय प्रदूषण का 50.1%)
 - » पड़ोसी एनसीआर जिलों से प्रदूषण (34.97%)
- यह डेटा इस धारणा को चुनौती देता है कि पराली जलाना दिल्ली में वायु गुणवत्ता संकट का मुख्य कारण है।

सरकार का व्यापक दृष्टिकोण:

- **अतिरिक्त सुधार:**
 - » पराली जलाने पर नए दंड के साथ-साथ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण (जांच और दंड का तरीका) नियम, 2024 भी पेश किए हैं।
 - » ये नियम पर्यावरणीय उल्लंघनों की जांच और दंड के लिए दिशानिर्देश प्रदान करते हैं, जिसमें स्थान, आकार और उल्लंघन की प्रकृति पर विचार किया जाएगा।
- **जवाबदेही:**
 - » सरकार का उद्देश्य पर्यावरण कानून के प्रवर्तन में जवाबदेही और सख्ती सुनिश्चित करना है, ताकि उल्लंघनों के खिलाफ अधिक कठोर कार्रवाई की जा सके।

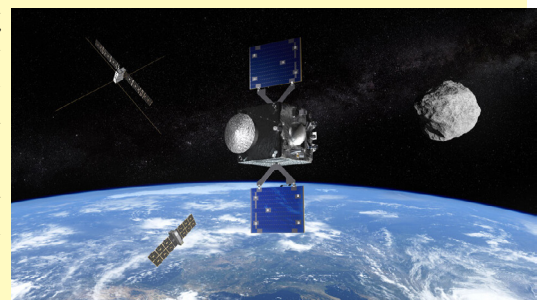
बढ़ी हुई दंड राशि के पीछे तर्क :

- **वायु प्रदूषण संकट:** जुर्माने का उद्देश्य पराली जलाने को कम करना है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में मौसमी वायु प्रदूषण में

पावर पैक न्यूज

ईएसए का रैमसेस मिशन

- हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने क्षुद्रग्रह अपोफिस का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष सुरक्षा के उद्देश्य से रैपिड अपोफिस मिशन (RAMSES) की शुरुआत की है, जोकि 13 अप्रैल, 2029 को पृथ्वी से 31,860 किलोमीटर की दूरी पर से गुजरेगा। अपोफिस, जिसे 2004 में खोजा गया था, 340 मीटर चौड़ा पृथ्वी के निकट का एक क्षुद्रग्रह है। यह पृथ्वी के पास से सुरक्षित रूप से गुजरेगा और विस्तृत अवलोकन के लिए पर्याप्त नजदीक होगा।
- रैमसेस अपोफिस की कक्षा, घूर्णन और आकार का अध्ययन करेगा, जबकि ओसिरिस-एपेक्स इसकी सतह का विश्लेषण करेगा। प्राप्त जानकारी भविष्य में उन क्षुद्रग्रहों को विक्षेपित करने के तरीकों को सूचित कर सकती है, जो पृथ्वी के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं।



Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR: 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR: 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029



dhyyaias.com

09 November 2024

पृथ्वी के निकट की वस्तुओं (NEO) के बारे में:

- अपोफिस जैसे क्षुद्रग्रह सौर मंडल के निर्माण के अवशेष हैं, जिनमें से कई पृथ्वी के लिए संभावित खतरे का कारण बन सकते हैं। अनुमानित 35,000 निकट-पृथ्वी वस्तुओं (NEO) में से लगभग 2,300 को 'संभावित रूप से खतरनाक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐतिहासिक प्रभाव, जैसे कि 66 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर के विलुप्त होने में योगदान करने वाला प्रभाव, इन वस्तुओं को समझने और उनका अवलोकन करने के महत्व को रेखांकित करता है।

नासा का ओसिरिस-एपेक्स मिशन:

- नासा द्वारा संचालित ओसिरिस-एपेक्स मिशन अपोफिस की सतह का विश्लेषण करेगा। संयुक्त रूप से, रैमसेस और ओसिरिस-एपेक्स मिशन निकट-पृथ्वी वस्तु के विस्तृत अवलोकन का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करेंगे, जो लगभग प्रत्येक 5,000 से 10,000 वर्षों में एक बार ही प्राप्त होता है।

भारत की तनुश्री पांडे ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता

- हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में आयोजित वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। यह उपलब्धि उनके खेल कौशल और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है और वैश्विक मंच पर भारत को गौरव प्रदान करती है। तनुश्री ने क्वार्टर फाइनल में चीनी प्रतिद्वंद्वी को 4-3 के करीबी स्कोर से हराया। सेमीफाइनल में उन्होंने जापानी खिलाड़ी को 4-3 के स्कोर से हराकर फाइनल में अपनी जगह सुनिश्चित की।
- फाइनल में उनका मुकाबला चीनी ताइपे की चियांग मिन यू से हुआ। हालांकि तनुश्री 3-4 के मामूली अंतर से हार गई, लेकिन उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा।

रजत पदक का महत्व:

- यह रजत पदक तनुश्री के सॉफ्ट टेनिस कौशल को उजागर करता है और युवा भारतीय एथलीटों के लिए प्रेरणास्रोत है। उनकी उपलब्धि न केवल भारत में इस खेल के प्रति जागरूकता को बढ़ाती है, बल्कि भविष्य में और भी बड़ी सफलताओं की उनकी क्षमता को भी प्रदर्शित करती है।

सॉफ्ट टेनिस को समझना:

- सॉफ्ट टेनिस पारंपरिक टेनिस का एक रूप है, जिसमें नरम गेंदों और हल्के रैकेट का उपयोग होता है, जिससे यह सभी उम्र के खिलाड़ियों के लिए उपयुक्त है। छोटे कोर्ट पर खेले जाने वाले इस खेल में गति, सटीकता और रणनीति की आवश्यकता होती है। यह खेल जापान और ताइवान जैसे देशों में विशेष रूप से लोकप्रिय है।
- विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, जिसमें दुनिया भर के शीर्ष खिलाड़ी भाग लेते हैं। इसमें प्रतिभागी एकल और युगल श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे सॉफ्ट टेनिस में उत्कृष्ट प्रतिभाएं उभरकर सामने आती हैं।



कॉमन कैट स्नेक

- हाल ही में (बोइगा ट्राइगोनाटा) बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कॉमन कैट स्नेक खोजी गई। इस दुर्लभ और हल्के विषैले प्रजाति को 2022 में प्रकृति गाइड राजीव आर्य ने कोटाराहा गेस्ट हाउस के पास देखा था। कॉमन कैट स्नेक अपनी विशिष्ट बिल्ली जैसी आँखों के लिए प्रसिद्ध हैं। दिन में इसकी पुतलियाँ संकरी होती हैं, जबकि रात में ये गोल आकार में फैल जाती हैं, जिससे यह रात में शिकार करने में सक्षम होती है।
- यह साँप मुख्य रूप से रात्रि सक्रिय होता है और छिपकलियों, मेंढकों, चूहों और पक्षियों जैसे छोटे जानवरों का शिकार सूर्यास्त के बाद करता है।
- इसका जहर इंसानों के लिए घातक नहीं है, लेकिन यह अपने शिकार को वश में करने में सहायक है और स्थानीय पशु आबादी को नियंत्रित करने में मदद करता है।

संरक्षण और आवास:

- वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कॉमन कैट स्नेक और उसके पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने में अहम भूमिका निभाता है। इसकी दुर्लभता को देखते हुए, इस प्रजाति के आवास की रक्षा करना इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

Face to Face Centres



09 November 2024

“अस्मी” मशीन पिस्तौल

- भारतीय सेना ने उत्तरी कमान में 550 ‘अस्मी’ मशीन पिस्तौल को शामिल कर आत्मनिर्भरता पहल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण को दर्शाती है।
- ‘अस्मी’ मशीन पिस्तौल का डिजाइन युद्ध एवं विशेष अभियानों के लिए किया गया है।
- यह सेमी-बुलपप डिजाइन में निर्मित है, जिससे इसे एक हाथ से संचालित किया जा सकता है और यह पिस्तौल एवं सबमशीन गन की विशेषताओं को सम्मिलित करती है।
- इसे भारतीय सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के सहयोग से विकसित किया है और इसका निर्माण हैदराबाद में लोकेश मशीन द्वारा किया जाता है, जो सैन्य और निजी उद्योगों के बीच सफल साझेदारी का प्रतीक है।



शामिल किए जाने का महत्व:

- ‘अस्मी’ मशीन पिस्तौल की सेना में सम्मिलित करना भारत की रक्षा में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति का संकेत है। यह सैन्य परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करता है और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करता है, जिससे सैन्य प्रौद्योगिकी में नवाचार और रोजगार के अवसर सृजित होते हैं।

आत्मनिर्भरता पहल:

- आत्मनिर्भरता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयात निर्भरता घटाने और विभिन्न क्षेत्रों, विशेषकर रक्षा क्षेत्र में स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया एक व्यापक कार्यक्रम है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | **LAXMI NAGAR** : 9205212500, 9205962002 | **RAJENDRA NAGAR**: 9205274743 | **UTTAR PRADESH** PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | **LUCKNOW** (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | **LUCKNOW** (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | **GREATER NOIDA**: 9205336037, 38 | **KANPUR**: 7887003962, 7897003962 | **GORAKHPUR** : 7080847474, 9161947474 | **ODISHA** BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029



dhyeeyias.com